क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

—:निर्णयः—

दिनांक—21.12.2024 की बैठक में वाहन संख्या— BR09PA9546, BR09PA6689, BR09PA9608, एवं BR09PA8165 के परमिट आवेदन विचार करने के क्रम में आपत्तिकर्त्ता श्री संजय कुमार की आपत्ति को खारिज किया गया है। BSRTC द्वारा बैठक के क्रम में समर्पित आवेदन में ससमय आपत्ति नहीं करने के कारण टकराव की आपत्ति को खारिज किया गया है परन्तु भागलपुर डिपो में निजी वाहनों का ठहराव अवैध है, के संबंध में साक्ष्य समर्पित करने BSRTC को तथा डिपो में आगमन प्रस्थान समय एक ही रखने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु आवेदनकर्त्ता को निदेश दिया गया था।

उक्त आलोक में चारों वाहन स्वामी के तरफ से श्री सुधीर कुमार द्वारा अपना पक्ष स्पष्ट किया गया है कि डिपो में समर्पित समय सारणी सिर्फ वहाँ से गुजरने का समय सारणी है। डिपो में ठहराव समय शून्य प्रकाशित किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है उक्त मार्ग पर (3225) 50 गाड़ी का परमिट निर्गत है एवं BSRTC का कोई मार्ग आरक्षित नहीं है।

BSRTC द्वारा अपना पक्ष समर्पित किया गया है, जिसमें वर्णित है कि भागलपुर डिपो BSRTC के अंतर्गत पड़ता है एवं निगम की निजी संपत्ति है, जिसमें केवल निगम अथवा निगम से अनुबंधित वाहनों के ठहराव की अनुमति है। साथ ही BSRTC द्वारा यह भी कहा गया है कि मार्ग संख्या—3225 अप एवं डाउन पर निगम अथवा निगम से अनुबंधित वाहनों के लिए भागलपुर डिपो अंकित मार्ग का आवेदन किया जाता है, जबकि परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—2372, दिनांक—11.04.2023 के अनुसार BSRTC हेतु कोई मार्ग राष्ट्रीयकृत/आरक्षित नहीं है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि BSRTC हेतु अब कोई मार्ग आरक्षित नहीं है तथा आवेदनकर्त्ता द्वारा भागलपुर डिपो में सिर्फ गुजरने का समय है, वहां ठहराव समय शून्य है। अतएव उपरोक्त चारों वाहनों का परमिट आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

आयुक्त—सह—अध्यक्ष के आदेश से

संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

D/N folder/Letter 93